**परिक्षेत्रीय कार्यालय,**
**परिक्षेत्र बस्ती**

**प्रेस नोट**
**दिनांक – 06-09-2026**

- **डीआईजी बस्ती द्वारा थानाध्यक्ष वाल्टरगंज स्व0 श्री सूर्य प्रकाश सिंह के आत्महत्या के प्रकरण में गिरफ्तार किये गये कुल 03 अभियुक्तो के सम्बंध मे की गयी प्रेस वार्ता।**

आज दिनांक 06.09.2026 को पुलिस उपमहानिरीक्षक बस्ती परिक्षेत्र बस्ती श्री संजीव त्यागी द्वारा श्री यशवीर सिंह पुलिस अधीक्षक बस्ती के साथ पुलिस लाइन बस्ती के सभागार मे थानाध्यक्ष वाल्टरगंज स्व0 श्री सूर्य प्रकाश सिंह के आत्महत्या के सम्बंध मे थाना कोतवाली बस्ती द्वारा गिरफ्तार किये गये कुल 03 अभियुक्तो के सम्बंध मे की गयी प्रेस वार्ता।

डीआईजी बस्ती द्वारा बताया गया कि थानाध्यक्ष वाल्टरगंज स्व0 श्री सूर्य प्रकाश सिंह के द्वारा बस्ती कलेक्ट्रेट परिसर में स्थित अपने सराकरी आवास में दिनांक 29.08.2026 को फांसी लगाकर आत्महत्या किये जान के प्रकरण में उनके पुत्र श्री संदीप सिंह पुत्र स्व0 सूर्यप्रकाश सिंह निवासी भीलमपुर छपरा थाना अतरौलिया जनपद आजमगढ़ के प्रार्थना पत्र दिनांक: 05.09.2026 के आधार पर थाना कोतवाली बस्ती पर मु0अ0सं0 387/2026 धारा 108, 3(5) BNS बनाम 01. प्रियंका चौधरी पत्नी महेन्द्र चौधरी निवासी बावनपार थाना पैकोलिया जनपद बस्ती हाल मुकाम पुत्र रामनयन चौधरी निवासी गंधार थाना वाल्टरगंज जनपद बस्ती 02. रामनयन चौधरी पुत्र संपत चौधरी निवासी गंधार थाना वाल्टरगंज जनपद बस्ती 03. विजय प्रकाश पुत्र भरतराम निवासी पिपरा काजी थाना पैकोलिया जनपद बस्ती के विरुद्ध पंजीकृत कर विवेचना प्रारम्भ की गयी।

उक्त प्रकरण में नामित अभियुक्तगण प्रियंका चौधरी आदि तीन नफर उपरोक्त को एक वोलोरो गाड़ी नं0 UP51BN 5805 के साथ आज दिनांक 06.09.2026 को अस्पताल चौराहा बस्ती के पास से गिरफ्तार किया गया जिनसे पूछ-ताछ किया गया तो इनके द्वारा बताया गया कि पूर्व थानाध्यक्ष वाल्टरगंज स्व0 श्री सूर्य प्रकाश सिंह के आत्महत्या के प्रकरण में मुख्य आरोपी प्रियंका चौधरी पुत्री रामनयन चौधरी साकिन गांधार थाना वाल्टरगंज जनपद बस्ती उम्र 32 वर्ष का उसके पति से 10 साल पहले से ही अलगाव हो गया है वह मुम्बई में रहकर ब्यूटी पार्लर तथा स्पा सेन्टरो में काम करती है तथा पैसे वाले व्यक्तियों को अपने शारीरिक मोह जाल में फंसाकर उनका वीडियो आडियो बनाकर उनको हनी ट्रैप के जरिये वाटसूएप/वीडियो काल करके तथा चैटिंग करके ब्लैकमेल करके पैसे की डिमांड की जाती थी इसके द्वारा अपने जाल में फंसायें हुए ग्राहको को वीडिओ काल पर अपने हाथ का नश काटकर खुन निकलता हुआ दिखाकर भावनात्मरुप से भयभीत किया जाता था और मोटे रकम की धनउगाही की जाती थी।

इसके इस काम में इसके पिता रामनयन चौधरी तथा वकील विजय प्रकाश यादव भी वखुबी साथ देते थे एक सूनियोजित साजिस के तहत इसके पिता व वकिल द्वारा हनी ट्रेप में फंसाये गये व्यक्तियों से वसूली करने में भूमिका निभायी जाती थी तथा इनको भी इसका हिस्सा मिलता था । अभीतक इस ग्रुप द्वार कुल चार लोगो को हनी ट्रैप कर भारी धनराशि उगाहने का विवरण जांच से प्राप्त हुआ है जो निम्नवत हैं-

1. डा0 उमेश पुत्र उमापति निवासी पुरैना थाना वाल्टरगंज जनपद बस्ती (हनीट्रेप कर 04 लाख की उगाही )
2. अहमद रजा पुत्र नऊम निवासी जमदाशाही थाना वाल्टरगंज जनपद बस्ती (हनीट्रेप कर 05 लाख की उगाही की|
3. आर्यन दिक्षित उर्फ जितेन्द्र दिक्षित पुत्र विनोद दिक्षित मकान नं0.372 करीम सेठ चावल राजाराम वेन मार्ग घाट कोपर ईस्ट जबलपुर मध्य प्रदेश ।(हनीट्रेप कर 15 लाख की उगाही )
4. स्व0 सूर्य प्रकाश सिंह पूर्व थानाध्यक्ष वाल्टरगंज जनपद बस्ती ।

इसके अलावा दर्जनो लोग जो इसके शिकार हुए है उसके सम्बन्ध में अभी जांच प्रचलित है । करीब दो वर्ष पूर्व लोगो को हनी ट्रेप में फंसा कर उनसे पैसे वसुलकर प्रियंका चौधरी ने एक बोलेरो गाड़ी खरीदा जिसके ड्राइवर अहमद रजा को भी बाद में हनी ट्रैप के माध्यम से ब्लैकमेल कर धन उगाही की थी।इसी क्रम में यह बताना भी महत्वपूर्ण है कि उपरोक्त महिला एवं इसके पिता जिस घर में किराए पर रहते थे उसके मकान मालिक डॉo उमेश को भी उपरोक्त महिला द्वारा हनी ट्रैप कर ब्लैकमेल कर धन उगाही की गई। गौरतलब है कि उपरोक्त महिला एवं इसके पिता द्वारा जो भी कानूनी कार्यवाहियां की जाती थी इसमें इनको विजय प्रकाश पुत्र भरतराम यादव निवासी ग्राम पिपरा काजी थाना पैकोलिया जनपद बस्ती जो ग्रुप के अहम सदस्य है का तीव्र सहयोग षड्यंत्र को प्रभावी बनाने के लिए रहता था।

इलेक्ट्रॉनिक उपागमों के विश्लेषण में यह बात पुख्ता हुई है कि मृतक सूर्य प्रकाश का संपर्क उपरोक्त महिला एवं उसके साथी विजय से स्थापित हुआ है। घटना वाले दिन के कॉलिंग पैटर्न ने इसको और बल प्रदान किया है ।विजय द्वारा ही सूर्य प्रकाश को समय 13.41 बजे अंतिम काल की गयी थी और इन्हीं प्रताड़नाओं से तंग आकर थानाध्यक्ष सूर्य प्रकाश सिंह ने अपने सरकारी आवास में फांसी लगाकर आत्म हत्या कर ली गयी ।गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण –

1. प्रियंका चौधरी पत्नी महेन्द्र चौधरी निवासी बावनपार थाना पैकोलिया जनपद बस्ती हाल मुकाम पुत्र रामनयन चौधरी निवासी गंधार थाना वाल्टरगंज जनपद बस्ती
2. रामनयन चौधरी पुत्र संपत चौधरी निवासी गंधार थाना वाल्टरगंज जनपद बस्ती
3. विजय प्रकाश पुत्र भरतराम निवासी पिपरा काजी थाना पैकोलिया जनपद बस्ती गिरफ्तारी का दिनांक व समय व स्थान- 06.09.2026 समय 07:55 बजे सदर अस्पताल के सामने थाना क्षेत्र कोतवाली जनपद बस्तीबरामदगी-1. एक वोलेरो गाडी नं0 UP51BN 58052. तीन अदद मोबाइलगिरफ्तार करने वाली टीम -

1. प्रभारी निरीक्षक बृजानन्द सिंह थाना कोतवाली बस्ती |
2. उ0नि0 अजय कुमार यादव चौकी प्रभारी जेलगेट |
3. उ0नि0 जयविन्द सिंह चौकी प्रभारी रोडवेज |
4. उ0नि0 श्री शेषनाथ यादव- प्रभारी सर्विलांस बस्ती |
5. हे0का0 देवेश, का0 किशन सिंह, का0 संतोष कुमार सर्विलांस सेल जनपद बस्ती |
6. का0 स्कन्द यादव, का0 राकेश यादव थाना कोतवाली बस्ती |

**मीडिया सेल**

**परिक्षेत्र बस्ती**